

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 30/01/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 29.01.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2026 धारा 3/25 आर्स एकट में 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.01.2026 को मुख्य खास की सूचना के आधार पर मीरनपुर सक्का हाईवे के पास से अभियुक्त अलाउद्दीन पुत्र इस्तियाक अंसारी निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/2026 धारा 3/25 आर्स एकट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

अलाउद्दीन पुत्र इस्तियाक अंसारी निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष बरामदगी का विवरण

एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 53/2026 धारा 3/25 आर्स एकट थाना कोतवाली गाजीपुर
- मु0अ0सं0 563/2025 धारा 3/25 आर्स एकट थाना कोतवाली गाजीपुर

2. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर डीपी एकट के मुकदमें की अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25000/- रु के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”

दिनांक 29.01.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 384/ 20 धारा 498A, 304 B भादवि व 3/4 डीपी एकट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्ता बिंदू देवी पत्नी रविंद्र गोंड निवासी देवली, थाना- कासिमाबाद को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000/-रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर